न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला—दौसा

तारीख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रतिराम बनाम बिश्राम मु.नं.– 60/24 किस्म – T-I	
	27/3/25 अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्व हुलिए दिनांक 28/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

रीख न	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज रतिराम बनाम विश्राम मु.नं.– 60/24 किस्म – T.I	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	27/3/25 अभिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के कारण न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 28/3/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
60/24	06.09.24	28.03.25

बउनवान

1. रत्तीराम मीना पुत्र नानग्या, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. विश्राम पुत्र जंगली राम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. सीयाराम पुत्र जंगली राम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि खाता नया 249 पुराना 241 खसरा सं. 2017 रकबा 0.61 हैक्टे. वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है जिसके प्रार्थी तन्हा खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी दीगर शख्स का किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार लेना देना नहीं है। प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर बिना किसी विघ्न व विरोध के उपयोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का बतौर मालिक उपयोग करने एवं लाभान्वित होने का विधिक अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। अप्रार्थीगण या अन्य किसी दीगर शख्स को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं होने के बाबजूद ये उक्त भूमि पर जबरन निर्माण करने पर अमादा हो रहे हैं व जबरन धन व बाहूबल से बेदखल करने पर अमादा हो रहे है। दिनांक 20.08.24 को प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदार व् उपयोग उपभोग की विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 2 जबरन बल प्रयोग कर मौके पर पत्थर बजरी आदि निर्माण सामग्री डालने व मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 से कहा कि यह भूमि हमारे तन्हा कब्जे काश्त व खातेदार की है, इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तो अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 व उनके मददगारान प्रार्थी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने में आमादा हो गये जिसका मुकाबला प्रार्थी करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 राजनैतिक प्रभाव व धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है व ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम निर्माण करके रहेगे, तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते हो। यदि अप्रार्थीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 को इस अमर की अस्थाई

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि में स्वयं, जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकरों, एजेंटो, किसी भी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से प्रार्थी को विवादित भूमि में प्राप्त विधिक अधिकारों के उपयोग– उपभोग में बाधा व् मजाहमत पैदा करने से एवं प्रार्थी के विधिक अधिकारों के विरुद्ध किसी भी प्रकार को कोई अवैध कार्य करने सदैव के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित रहे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.24 जारी की गयी कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा सं. 2017 वाके ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा के वर्तमान मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस तामील होने के बाबजूद अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जबाव का अवसर बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है,

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, ग्राम बालाहेडा तहसील बैजूपाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का एकल खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, वादग्रस्त आराजी में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार का निर्माण किया जाता है तो मौके पर विवाद बढना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर पत्थर बजरी आदि निर्माण सामग्री डालकर मौके पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति में बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 2017 रकबा 0.61 हैक्टे. के सम्बन्ध में, इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.09.24 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण नहीं करें, प्रार्थी के विधिक अधिकारों के उपयोग–उपभोग में बाधा व मजाहमत पैदा नहीं करें। वादग्रस्त आराजी के वर्तमान मौके तथा राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.03.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)